

विदेन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 १. १५४४ के पत्र पर जांच की गई तथा जांच के बाद पत्र
 २. १५४५ के पत्र पर जांच की गई तथा जांच के बाद पत्र
 ३. १५४६ के पत्र पर जांच की गई तथा जांच के बाद पत्र

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी / १५४५

मोहन लाल

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णित नाम आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अनिश्चय की जाती है / नहीं की जाती है।

1548
23/11/2021

मोहन लाल
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

23/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जनाबन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	भोशौरिया	2020-28	283	मनोहर लाल पु. भागीरथ जाति श्रीवा	मन्नीराम पु. भागीरथ जाति श्रीवा

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

मोहन लाल
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :-

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1245-1246

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

मोहन लाल
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

